न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 16/2017

तेजवीर सिंह पुत्र दौलतराम जाति बावरी निवासी 21 बी.एल.डी.(ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना।
2. सुलोचना पत्नी दीनदयाल जाति बावरी निवासी 1 के.पी.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्त. अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 23.11.2016

उपस्थिति :—
श्री कृष्णलाल लदोइया, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक: 12/12/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88 का पेश किया। उक्त वाद में प्रतिवादी/रेस्पों. सं. 2 ने एक प्रा.पत्र आ. 7 नि. 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा अपने वाद में अनुतोष पंजीकृत दस्तावेज उपहार पत्र को निरस्त करवाने के सम्बन्ध में चाहा है जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

वादी/अपीलांट ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा को दान पत्र को निरस्त करने के सम्बन्ध में अनुतोष नहीं चाहा है। बल्कि वादी के अधिकारों पर प्रभाव शून्य घोषित करने का निवेदन किया है। ऐसा अनुतोष देने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात आ. 7 नि. 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर

रेस्पों. सं. 2 को जरिये रजि. सम्मन से तलब किया गया। रेस्पों. सं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी/अपीलांट ने दान पत्र को निरस्त करवाने सम्बन्धी कोई अनुतोष नहीं चाहा था। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रा.पत्र आ. 7 नि. 11 सीपीसी स्वीकार किया है जबकि अधी. न्यायालय को चाहिए था कि प्रतिवादी से जबाब दावा प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर उन पर साक्ष्य लेकर वाद का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करना चाहिए था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील मीमों में जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा उपस्थित होकर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2016 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रतिवादी से जबाब दावा लेकर, दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर, उन पर साक्ष्य सबूत लेकर वाद का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/12/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/12/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर